

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 2021—चैत्र 2, शक 1943

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2021

फा. क्र. 84(14)-उप.चु.-2021-चार-32.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 434-म.प्र.-वि.स.-2021 (ए.आर.ओ.), दिनांक 20 मार्च 2021 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

अरूण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 2021—29 फाल्गुन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं 434-म.प्र.-वि.स.-2021 (ए.आर.ओ.).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, विद्यमान सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के अतिरिक्त, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को मध्यप्रदेश राज्य के उप निर्वाचन, 2021 में मतगणना एवं डाक मत-पत्र गणना के संबंध में स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसरों को उनके कार्यों के निष्पादन में मदद करने के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एतद्वारा नियुक्त करता है :-

सारणी

विधान सभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (मतगणना एवं डाक मतपत्र गणना) (2)
55-दमोह	1. तहसीलदार, दमोह 2. महिला सशक्तिकरण अधिकारी, दमोह 3. नायब तहसीलदार, दमोह

2. यह नियुक्तियां मतों की गणना के पूरे होने के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जाएगीं.

आदेश से,
हस्ता./-
(मधुसूदन गुप्ता)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 20th March, 2021—29 Phalguna, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434-MP-LA-2021 (A.R.O.).—In exercise of powers conferred by Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby, appoint the officers specified in Column (2) of the table given below as Assistant Returning Officers in addition to the existing Assistant Returning Officers, to assist the Returning Officers of the Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh as specified in the Column (1) of the said table, in the performance of their functions, with respect to the Counting of votes and Counting of Postal Ballots, in the Bye Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2021 :—

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency (1)	Additional Assistant Returning Officer (Counting of Votes and Counting of Postal Ballot) (2)
55-Damoh	1. Tehsildar, Damoh 2. Women Empowerment Officer, Damoh 3. Nayab Tehsildar, Damoh.

2. These appointments will cease to be effective after completion of counting of votes.

By order,
Sd./-
(MADHUSUDAN GUPTA)
Secretary,
Election Commission of India.